

**In the Court of Sh. Sunil Kumar, H.P.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Sangrah,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

1. Sh. Narender Singh s/o Sh. Balak Ram, r/o Village Janoli (Ludhiana), P.O. Andheri, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).
2. Smt. Kanchan d/o Rajesh, r/o Village Hatkot, P.O. Kunihar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

Versus

General Public

Application for the registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Narender Singh s/o Sh. Balak Ram, r/o Village Janoli (Ludhiana), P.O. Andheri, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Kanchan d/o Rajesh, r/o Village Hatkot, P.O. Kunihar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 18-07-2022 but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages Gram Panchayat Ludhiana, Development Block Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 15-04-2024. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 14-03-2024.

Seal.

Sd/-
(SUNIL KUMAR, H.P.A.S.),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दायर तिथि : 12-03-2023

श्री अरशद पुत्र मुमताज, निवासी भुपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री अरशद पुत्र मुमताज, निवासी भुपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिले केसिस/2023-12383, दिनांक 06-03-2023 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 परिवार नकल ग्राम पंचायत भाटावाली, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 20-01-1988 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-04-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में अरशद पुत्र मुमताज, निवासी भुपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 : 06/2024

तारीख मरजुआ : 11-03-2024

श्री अमर सिंह पुत्र श्री मनीराम, निवासी वार्ड नं0 6, नजदीक पुलिस थाना राजगढ़, डाकघर व नगर पंचायत राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इशतहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री अमर सिंह पुत्र श्री मनीराम, निवासी वार्ड नं0 6, नजदीक पुलिस थाना राजगढ़, डाकघर व नगर पंचायत राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत राजगढ़ के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैर-हाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म की तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सका। उनके अनुसार उनका जन्म दिनांक 03-02-1977 को हुआ है। सायल ने नगर पंचायत राजगढ़ के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अमर सिंह पुत्र श्री मनीराम की जन्म तिथि नगर पंचायत राजगढ़ में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक

एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा। सचिव नगर पंचायत राजगढ़ को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 07 / 2024

तारीख मरजुआ : 18-03-2024

श्रीमती काजल पत्नी स्व0 श्री परमजीत सिंह, निवासी 43, नजदीक गुरद्वारा रोड, छोटा बरौला अम्बाला, हरियाणा-133 004.

बनाम

आम जनता

इशतहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती काजल पत्नी स्व0 श्री परमजीत सिंह, निवासी 43, नजदीक गुरद्वारा रो, छोटा बरौला अम्बाला, हरियाणा-133004 ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपने पति की मृत्यु तिथि नगर पंचायत राजगढ़ के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसके पति का देहांत वार्ड नं0 3 राजगढ़, डा0 व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैर-हाजिर रहने से निश्चित अवधि में मृत्यु की तिथि नगर पंचायत राजगढ़ की पंजी में दर्ज नहीं करा सकी। उनके अनुसार उनके पति स्व0 श्री परमजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 24-11-2021 को हुई है। सायला ने नगर पंचायत राजगढ़ के पंजीकरण पंजी में अपने पति की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्व0 परमजीत सिंह पुत्र श्री देव सिंह की मृत्यु तिथि नगर पंचायत राजगढ़ में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा। सचिव नगर पंचायत राजगढ़ को उक्त नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।